सूचना का अधिकार ...

(2)

दिनांक 24 जून 2019

सेवा में,

सी.पी.आई.ओ (प्रशासन -1 क)
राजस्व विभाग,
वित्त मंत्रालय, नॉर्थ ब्लॉक,
नई दिल्ली- 110001

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत वित्त मंत्रालय में अनुबंध के आधार पर काम करने वाले निजी सहायक, स्टेनोग्राफर, डाटा एन्ट्री आपरेटर और एम.टी.एस से संबंधित सूचना प्राप्त करना।

1. कृप्या बताएं कि मंत्रालय/ विभाग ने कौन-2 से नियम/शर्तों के आधार पर ठेकेदार/ कान्ट्रेक्टर को कितने सालों का अनुबंध दिया हुआ है? विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाई जाए।
2. कृप्या बताएं कि इन काम करने वाले कर्मचारियों को हर महीने का वेतन कितना मिलता है?
3. कृप्या बताएं कि समय-समय पर इन कर्मचारियों के वेतन में कितनी वृद्धि की जाती है?
4. कृप्या बताएं कि इन कर्मचारियों को पी.एफ, ई.एस.आई.सी और अर्जित अवकाश इत्यादि की सुविधा दी जाती है? कृपया विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाई जाए।
5. कृप्या बताएं कि वित्त मंत्रालय में जितने विभाग है क्या उनमें इन कर्मचारियों का एक समान वेतन मिलता है? विस्तृत सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

कृप्या बताएं कि क्या विभाग ने अनुबंध में प्रत्येक कर्मचारी का वतेन नियत किया हुआ है या ठेकेदार/ कान्ट्रेक्टर खुद तय करता है कि प्रत्येक कर्मचारी को कितना वेतन दिया जाएगा? सूचना उपलब्ध कराई जाए।

JS(Ad. IA/IB)
24/6/19

कृप्या बताएं कि अगर ठेकेदार/ कान्ट्रेक्टर विभाग द्वारा लिखे गए अनुबंध में नियम और शर्तों का पालन नहीं करता है, तो इन कर्मचारियों को उनका हक/ अधिकार कौन दिलवाएगा कि इन कर्मचारियों को पूरा वेतन और अन्य सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। ये कर्मचारी कहां पर अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं जिससे उनको न्याय मिल सके और उनकी मेहनत की कमाई सीधे उनके हाथ में आए। सूचना उपलब्ध करवाई जाए।

TIME BOUND
वित्त मंत्रालय / Ministry of Finance
राजस्व विभाग / Department of Revenue
सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ / RTI Cell
FTS No. 1170010 /2019/RTI Cell
Date of Receipt 25/06/2019

8. कृप्या बताएं कि इन कर्मचारियों को बकाया राशि का (Arrear) कितना मिलता है?

9. कृप्या बताएं कि तत्काल में कुल वेतन में कितने रूपये की बढ़ोतरी की गई है?

10. कृप्या बताएं कि इन कर्मचारियों को दिवाली/ दशहरा पर्व पर बोनस दिया जाता है या नहीं अगर दिया जाता है तो कितना दिया जाता है? सूचना उपलब्ध करवाई जाएं।

11. कृप्या बताएं कि क्या इन कर्मचारियों को घंटों के हिसाब से वेतन दिया जाता है या कार्य दिवसों के हिसाब से वेतन दिया जाता है ?

12. कृप्या बताएं कि ठेकेदार/ कांट्रक्टर द्वारा इन कर्मचारियों के अधिकारों/ हक का हनन होता है, तो विभाग किस तरह से इनकी मदद सहायता करता है?

पोस्टल आर्डर सं. 47F151080 सलंग्न है